श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड—249199

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आधारित



www.sdsuv.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों (बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम०) के लिए प्रवेश नियम 2023

प्रवेश नियम (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु) (शैक्षणिक वर्ष 2023—2024 से प्रभावी)

अध्याय-1 साधारण नियम-

- 1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश संमिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1.3 परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र / फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ—पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय—परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 - (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 - (ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अई होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
 - (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अविध के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये 56 जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी / समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार / निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- 1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - (ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दिण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।
- 1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/ संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 1.11 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है—

1— अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत 2— अनुसूचित जनजाति 04 प्रतिशत 3— अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत

4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

 1) महिलाऐं
 30 प्रतिशत

 (2) भूतपूर्व सैनिक
 05 प्रतिशत

 (3) दिव्यांग
 05 प्रतिशत

(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

- 1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।
 - (i) Extension in date of admission upto 30 days
 - (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा—

(क) एन०सी०सी० 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)

(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके

पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगाभाई / बहन— 20 अंक (घ) जम्म-कश्मीर में तैनात अर्द-सैनिकों के एव / एवी एवि / एवी / समा अर्प वहन नाम

(घ) जम्मू—कश्मीर में तैनात अर्द्ध—सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू—कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन—

(ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर

20 अंक 50 अंक

20 अंक

(च)	अन्तर–विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य / अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(স)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(군)	जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र	
	जिला / मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ਰ)	अन्तर—महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की	
	किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	१५ अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

(क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और 1.14 उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन

किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

- श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / परिसरों / संस्थानों में बिना स्थानान्तरण 1.15 प्रमाण-पत्र (टी०सी०) व सी० सी० के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य 1.16 होंगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष / प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

अभ्यथी द्वारा संबंधित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से 1.17 संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण 1.18 संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के

विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

> कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल।

अर्हता निर्धारण के नियम (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु) (शैक्षणिक सत्र 2023—2024 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता / योग्यता सूची निर्धारण के नियम -

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड / यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड

से 10+2 उत्तीर्ण छात्र / छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत रनातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :--

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला / विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत

प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्अर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 शिक्षणेत्तर कार्य—कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/ संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपित जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन—पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.4 रनातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता—क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2.5 The candidates for the Under-Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional-subject combinations as per the group-scheme provided below:

एकल संकाय महाविद्यालयों हेतु निम्न तालिका के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय— III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग—अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य	ड्रांइग एवं पेंटिंग	भूगोल	शिक्षा शास्त्र	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान
(English	(Drawing &	(Geography)	(Eduction)	(Hindi	(Political
Literature)	Painitng)			Literature)	Science)
कुमांउनी भाषा	अर्थषास्त्र	इतिहास	समाजशास्त्र	1	
(Kumauni	(Economics)	(History)	(Sociology)		
Language)					
संस्कृत साहित्य	गृह विज्ञान	योग	दर्शनशास्त्र		
(Sanskrit	(Home	(Yog)	(Philosophy)		
Literature)	Science)	, ,,	1 27		
	शारीरिक शिक्षा	संगीत			
	(Physical	(Music)			
	Education)	,			
	मनोविज्ञान	सैन्य विज्ञान			
	(Psychology)	(Military			9
	मानव विज्ञान	Science)			
	(Anthropology)				= 1

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय— III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग—अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chemistry) सांख्यिकी (Statistics)
		कम्प्यूटर सांइस (Computer Science) इन्फोमेंशन टेक्नोलॉजी (Inforation Technology) भूगर्भ विज्ञान (Geology) सैन्य विज्ञान (Military Science) डाटा साइंस (Data Science)

Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान	जन्तु विज्ञान	रसायन विज्ञान (Chemistry)
(Botany)	(Zoology)	वानिकी (Forestry)
		इन्फोमेंषन टेक्नोलॉजी (Inforation Technology)
		भूगर्भ विज्ञान (Geology)
		सैन्य विज्ञान (Military Science)
		बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnolgy)
		मानव विज्ञान (Anthropology)
		पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science)
		माइक्रोबॉयलोजी (Microbiology)

गृह विज्ञान संकाय (Bachelor of Home Science) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय— III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग—अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C
(A) Foods & Nurition खाद्य एवं पोषण	(A) Colthing and Textile Sciences परिधान एवं वस्त्र विज्ञान	(A) Extension Education प्रसार शिक्षा
(B) Human Development and Family Studies मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	(B) Family Resource Management पारिवारिक संसाधन प्रबंध	

वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय— III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग—अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C
फाइनेन्सियल एकाउंटिग (Financial Accounting) (Major Core Own	व्यावसायिक नियामक ढांचा (Business Regularory	व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्धन (Business Organization and Management)
Faculty)	Frame Work) (Major Core Own Faculty)	व्यावसायिक संचार (Busniess Communication) (Major Elective Own Faculty/Other Faculty)

वैधानिक नियन्त्रण -

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार अदिव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

> कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल।

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ-पत्र

- 1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा / रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा / लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा / करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा / रहूँगी।
- 2. मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
- 3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
- 4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा / करूँगी । यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता / करती हूँ तो महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमित न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर / संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

में विश्वास दिलाता हूँ कि श्री / कु० / श्रीमती

जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर-पिता / अभिभावक